जांच करने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि तथा न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) केवल एक मतदान केन्द्र अर्थात् बिहार राज्य में 32 बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 189 बरौनी सभा वाले भाग में सं० 7 (अपर प्राइमरी स्कूल, हाजीपुर) के मामले में मतदान के दौरान 5-3-71 को अस्त्रों से लैस एक समूह मतदान केन्द्र में घुस गया, और उसने रिवालवर और पाइपगन से पीठासीन आफिसर और मतदान आफिसरों को धमकाया तथा कुछ मतपत्रों को बलपूर्वक उठा लिया, उनको चिह्नित किया तथा उन्हें मतपेटी में डाल दिया। जैसे ही इस घटना के सम्बन्ध में रिटर्निंग आफिसर को रिपोर्ट प्राप्त हुई, निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58(2) के अधीन उस मतदान केन्द्र का मतदान शून्य घोषित कर दिया और नए सिरे से मतदान करने का आदेश दिया जो 7-3-71 को हुआ।

(ख) और (ग). ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि स्थानीय अधिकारियों और पुलिस ने अस्त्रों से लैस समूह की उपर्युक्त कार्रवाई में उसका समर्थन किया तथा उसे उत्साहित किया। आयोग का यह विचार नहीं है कि इस घटना की जांच कराना आवश्यक है क्योंकि वह प्रथम मतदान को शून्य घोषित करने तथा नए सिरे से मतदान कराने का आदेश देने की आवश्यक कार्रवाई पहले ही कर चुका है जैसा कि विधि के अधीन उपबन्धित है।

(घ) आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि भावी निर्वाचनों में इस खतरे पर प्रभावी ढंग से काबू पाने के लिए कौन से कदम उठाए जाएं।

मध्यावधि चुनावों के दौरान बिहार में पोलिंग बूथों पर हुई घटनायें

53. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या विधि तथा न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लोक सभा के मध्यावधि चुनावों में बिहार के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के पोलिंग बूथों पर जबरदस्ती कब्जा कर लेने की कई घटनायें हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो निर्वाचन क्षेत्र-वार ऐसे पोलिंग बूथों की संख्या कितनी थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निर्वाचन आयोग के आश्वासन के बावजूद कई निर्वाचन क्षेत्र में मुसलमानों, हरिजनों और पिछड़े वर्गों के लोगों को मतदान नहीं करने दिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्यवाही करने का है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विधि तथा न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). निर्वाचन आयोग को बिहार राज्य के सम्बद्ध रिटर्निंग आफिसरों से इस प्रकार की रिपोर्टें मिली कि 42 मामलों में मतदान केन्द्रों पर उद्दंड गिरोहों ने या तो बलपूर्वक अधिकार कर लिया या वे मतदान केन्द्रों से मत पेटियां उठा ले गए। आयोग ने इन सब मामलों में फिर से मतदान कराने का आदेश दिया। ऐसे मतदान केन्द्रों की सूची सभा पटल पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये** संख्या LT 54/71]

(ग) से (ङ). निर्वाचन आयोग को कुछ

शिकायतें मिलीं जिन में यह कहा गया था कि अल्पसंख्यक समुदायों तथा पिछड़े वर्गों के मत दाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग नही करने दिया गया। नए मतदान के आदेश निकाल कर या जब भी आवश्यक हुआ, मतदान का स्थगन करके आयोग ने समय के अन्दर जो कार्रवाई की उससे बलात् साधनों के द्वारा मत-दान को भंग करने के प्रयत्न प्रभावी रूप मे विफल कर दिए गए। आयोग ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि जिन इलाकों में समाज के पिछड़े वर्गों के मतदाता रहते है उनके मध्य भाग में अतिरिक्त मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करके उनको अपने मताधिकार का अबाध प्रयोग करने में अधिक बलशाली वर्गों द्वारा डराए और धमकाए जाने से बचाया जा सके। आयोग ने गणन प्रक्रिया का भी पुन-रीक्षण किया जिससे किसी को यह न मालूम हो सके कि किसी विशिष्ट मतदान क्षेत्र ने किस प्रकार मतदान किया है। इस अतिरिक्त गोप-नीयता ने हरिजनों तथा अन्य दुर्बल वर्गों को बिना किसी भय के मतदान केन्द्रों मे जाने और अपने मत का प्रयोग करने के लिए भी साहस प्रदान किया।

बरौनी, बेगूसराय, मोकामेह तथा हाथी दाह में रेलवे कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

54. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार बरौनी, बेगूसराय, मोकामेह तथा हाथीदाह में स्थित डाक तथा तार विभाग के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को 1967 से परियोजना भत्ता दे रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन स्थानो पर काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों को इस प्रकार का कोई भत्ता नहीं दिया गया हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा ने सरकार को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उक्त परियोजना भत्ते की मांग की गई थी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). रेल कर्मचारियो पर लागू होने वाले वर्तमान नियमो के अन्तर्गत रेल कर्मचारी इस भत्ते को पाने के हकदार नही है।

(घ) जी हा। उसमे यह भी कहा गया है कि 25-3-1971 से एक आन्दोलन चलाया जाएगा।

(ङ) स्थिति पर विचार किया जा रहा है।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के मुस्लिम कर्मचारियों का फिर से बसाया जाना

55. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कोरपोरेशन, रांची के उन मुस्लिम कर्मचारियों को अभी तक पूरी तौर से बसाया नहीं गया है जो 1967 के दौरान साम्प्रदायिक दंगों के शिकार हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन कर्मचारियों को किस प्रकार